अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24.01.2020

राजस्व वाद संख्या 73/2018 अनवान नैनूराम बनाम **जितेन्द्र गांधी वगैरा** अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से **वकील प्रेम देवड़ा** उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण के अधिवक्ता **अनुपस्थित। पत्रावली** का अवलोकन किया। प्रार्थी के दावा **अन्तर्गत धारा** 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत् **बंटवाड़ा एवं स्थाई** निषेधाज्ञा के पेश कर ग्राम भाकरासनी पटवार **मण्डल गुड़ा विश्नोईयान** के खसरा नम्बर 189 रकबा 16.08 बीघा **वादी ने पूर्व खातेदार** श्री सुखराम विश्नोई से जरिये रजिस्ट्री **खरीद किया था। वादी** द्वारा खरीद करने के पश्चात् सम्पूर्ण **खसरे का 1/2** हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों को विभिन्न **तरीके से हस्तान्तरण** कर दिया। कुछ ने इस भूमि से आगे से **आगे बैचान कर** दिया। चूंकि खसरा नम्बर 189 मूल खातेदार **वादी हैं तथा प्रतिवादीगण** सारे ही स्ट्रेन्जर पर्सन हैं, इस कारण **से बिना बंटवाड़े,** बिना तरमीम प्रतिवादीगण के द्वारा निर्माण कार्य **किया जा रहा हैं,** को मौके पर बिना बंटवाड़ा, बिना तरमीम के **निर्माण नहीं करने** से स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाने के **आदेश का निवेदन** किया।

प्रतिवादी संख्या एक एवं दो की ओर से जवाव पेश कर **वादी के वाद को** खारिज किये जाने का निवेदन किया। शेष **प्रतिवादीगण द्वारा** जबाव पेश नहीं करने पर जबाव बन्द किया **गया। प्रतिवादीगण** संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने **से एक तरफा** कार्यवाही अमल में लाई गयी।

चूंकि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सवंत् 2070–73 में प्रार्थी का **खं.नं. 189 रकबा** 08.04.09 बीघा का एकल खातेदार हैं इसमें से **भूमि अवाप्ति आदेश** से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय **भारत सरकार के** नाम ख.नं. 189/7 रकबा 0.10.01 बीघा गे0मु0 **सड़क का अमल** दरामद हैं। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 के **नाम ख.नं.** 189/1 रकबा 02.01.03 बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 के **नाम ख.नं.** 189/3 रकबा 02.01.03 बीघा, प्रतिवादी संख्या 3 के **नाम ख.नं.** 189/6 रकबा 01.00 बीघा, खसरा नम्बर 189/2 **रकबा** 1.01.03 बीघा प्रतिवादी खसरा नम्बर 1.01.03 बीघा का **राजस्व रेकर्ड** में अलग अलग खातेदार के रूप में दर्ज शुद्धा है।

चुंकि प्रार्थी के वाद में सभी खातेदार सहखातेदार नही होकर **एकल खातेदार** जिनके अलग अलग बटटा नम्बर रेकर्ड में दर्ज **होने से वास्ते** बंटवाडा प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित **प्रतीत नहीं होता** है।

अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार योग्य है, तहसीलदार लूणी को **निर्देश दिये** जाते है कि ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 189 **एवं इसके समस्त** बटटा नम्बरों की विधिक दस्तावेज अनुसार पूर्ण जाच कर तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें एवम स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण जारी कि जाती है कि बाद तरमीम वादी के खसरा नम्बर 189 रकबा 7.14.08 बीघा के कब्जे काश्त में दखल अदांजी नही करें। डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/01/20

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner